स्पीड पोस्ट

SPEED POST

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 18/07/2019

File No. Policy/1/2019//RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
गृह मंत्रालय,भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली . 110001

2. सचिव ,
जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,
218, दूसरी मंजिल, डी–विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001

3. मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, मन्त्रालय नया रायपुर – 492002

4. मुख्य सचिव,
आन्ध्र प्रदेश शासन,
ब्लॉक 01, प्रथम तल ,
सचिवालय कार्यालय,
वेलगापुडी – 522503

5. मुख्य सचिव,
तेलंगाना शासन,
ब्लॉक–सी, तृतीय तल,
तेलंगाना सचिवालय,
खैरताबाद, हैदराबाद

6. मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र शासन,
कार्यालय मुख्य भवन, मंत्रालय 6 मंजिल, मैडम कामा रोड, मुंबई – 400032

7. मुख्य सचिव,
उड़ीसा शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
ओडिशा सचिवालयभवनेश्वर
की सरकार – 751001

विषयः वामपंथी उग्रवाद के कारण विस्थापित छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के 5000 आदिवासी परिवारों का पुर्नवास।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करें । इस संबंध में दिनांक 02.07.2019 को डा़ नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गयी बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में कार्यवाई करते हुए आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्नः यथोपरि

5653-59
19/7/19

जारी किया
ISSUED

भवदीय,

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक
18/7/2019

प्रतिलिपिः

1. एन.सी.एस.टी ,एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Policy/1/2019/RU - III)

बस्तर संभाग (छत्तीसगढ़) के 5000 अनुसूचित जनजातीय परिवार जो वामपंथी अतिवादियों के के कारण वर्तमान में पड़ोसी राज्यों में निवास कर रहे हैं, के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विषय में आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को दोपहर 02.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 02.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह आयोग के संज्ञान में आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थित बस्तर जिले के लगभग 5000 अनुसूचित जनजातीय परिवार वामपंथी अतिवाद के विरुद्ध चलाए गए सलवा जुडुम अभियान के दौरान अपने गांवों से विस्थापित हो गए। ये परिवार आंध्रप्रदेश व तेलंगाना सहित अन्य सीमावर्ती राज्यों में निवास कर रहे हैं। रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चला है कि ये सभी परिवार छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में विभिन्न जिलों में स्थित अपने पैतृक आवास पर वापस लौटने के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की मांग कर रहे हैं। अन्य राज्यों में चले जाने के कारण ये छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्र हेतु दावा प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। कुछ अन्य परिवार वापस नहीं आना चाहते तथा वर्तमान स्थान पर ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए अधिनियम के in situ प्रावधान का उपयोग किया जाना चाहिए।

   दिनांक 04/06/2019 को हुई आयोग की 115वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी जिसमें गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों से तत्काल रिपोर्ट मंगाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही रिपोर्ट आने पर गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालने का भी निर्णय लिया गया था।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग के सचिव ने बताया कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिला दक्षिण बस्तर का इलाका कहलाता है। यहां के लोग दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं और बहुत से परिवार नक्सली गतिविधियों के कारण भी पलायन किए हैं। इनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए जो भी जरूरी कदम हैं जैसे आवास, पेयजल, सड़क, राशन, अस्पताल आदि की व्यवस्था करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयार है। अगर ये लोग आवेदन करते हैं तो उन्हें वनाधिकार पत्र के द्वारा उचित अधिकार भी दिए जाएंगे। समाचार पत्रों में 5000 परिवारों की बात की गई है। वर्ष 2011-12 में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की गई थी तथा उसमें तेलंगाना के खम्मम जिले में ही लगभग 3000 परिवार निवासरत पाए गए थे। तथापि वर्तमान में जो खबरें छपी हैं इस संबंध में एक बार पुनः सर्वेक्षण किया जाना उचित होगा।

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी ने मत व्यक्त किया कि वनाधिकार कानून के अनुसार यह जानना जरूरी है कि वे सभी जनजातीय परिवार इस कानून के लागू होने के पहले अन्य पड़ोसी राज्यों में गए हैं अथवा इसके बाद में। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह भी देखा गया है कि वन विभाग के लोगों के द्वारा पड़ोसी राज्यों में उन्हें परेशान किया जाता है। इस संबंध में यह भी देखा जाना चाहिए कि उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है।
सभी संबंधित राज्यों से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए कि उनकी वास्तविक संख्या कितनी है, यह जानना जरूरी है। इसके लिए एक विस्तृत सर्वे किया जाना जरूरी है।

4. बैठक में उपस्थित श्री सुभ्रांशु चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की ज्यादातर जनजातियां तेलंगाना में गई हैं, वे डर के कारण वापस लौटना नहीं चाहते हैं। अगर वनाधिकार कानून के in situ प्रावधान का उपयोग करते हुए उनके वहीं बसने की व्यवस्था हो जाती है तो उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार पहल कर सकती है क्योंकि यह दो-तीन राज्यों के बीच का मामला है।

5. आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा, बस्तर में और भी समस्याएं हैं, पहले भी एक दिन बैठक हुई थी जिसमें नंदराज पर्वत खनन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। जनजातियों के कल्याण एवं विकास का कोई भी मुद्दा है तो वह आयोग का विषय है, आयोग इसको लेकर गंभीर है।

6. बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए : -

I. बस्तर संभाग के अनुसूचित जनजाति के परिवार, जो पड़ोसी राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओड़िशा के सीमावर्ती जिलों में चले गए, उनके संबंध में सर्वेक्षण कराना बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय प्रशासन के राजस्व एवं जनजातीय कल्याण

डॉ. नन्द कुमार साई/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

विभाग के माध्यम से इनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराए ताकि वास्तविक संख्या सामने आ सके जिससे उनका पुनर्वास करने में सहूलियत होगी।

II. उनके निवास स्थान पर वर्तमान स्थिति क्या है और वापस अपने मूल स्थान पर लौटने को लेकर उनकी मनःस्थिति क्या है इसकी भी जांच की जानी चाहिए।

III. छत्तीसगढ़ शासन अन्य राज्यों में गए इन परिवारों के वन अधिकार के दावे प्राप्त करे एवं उनकी पात्रतानुसार वन अधिकारों को मान्यता दे।

IV. आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य छत्तीसगढ़ से लगनेवाले जिलों के कलेक्टरों को इस सर्वेक्षण में सहायता देने के निर्देश जारी करें।

V. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह सर्वेक्षण 3 माह में पूर्ण कर लिया जाए।

VI. इस संबंध में भविष्य में होनेवाली बैठक में गृह मंत्रालय के संबंधित अधिकारी की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए।

VII. इस संबंध में दिए गए राज्यों की प्रगति के अवलोकन हेतु 2 माह के बाद आयोग पुनः बैठक लेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन से समाप्त हुई।

15.07.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Policy/1/2019/RU - III)

बस्तर संभाग (छत्तीसगढ़) के 5000 अनुसूचित जनजातीय परिवार जो वामपंथी अतिवादियों के के कारण वर्तमान में पड़ोसी राज्यों में निवास कर रहे हैं उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विषय में आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को दोपहर 02.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूचीः

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष महोदय
  2. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
  3. श्री आर. के. दूबे, सहायक निदेशक
  4. श्री आलोक द्विवेदी, परामर्शक

- **जनजातिय कार्य मंत्रालय के अधिकारी**
  1. श्री जे. एस. कोचर, इको. एडवाईजर

- **छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी**
  1. श्री एन. के शाशा, सचिव, राजस्व
  2. श्री नीरज कुमार बंसोद, निदेशक, जनजातीय विभाग